HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9877/2026
CNR: RJHC020590242026 | URN: CRLMB / 18297U / 2026

Mausam Sudhakar @ Sudhakar Reddy S/o Shri Mausam Kumarya, Aged About 50 Years, R/o 3-4-42 Ramagundam, P.s. Ramagundam, District Karimnagar, Telangana, at Present Tenant 12-13-1135, Siddharth Nagar, Tarnaka, P.S. Tarnaka, District Hyderabad, Telangana, at Present Tenant Flat No. 604, Kriyansh Heights, Indraprasth Colony, P.S. Chitrakoot, Jaipur.
(Accused Petitioner Presently Confined in Central Jail Jaipur).

----Accused-Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anil Kumar Mohta, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP Ms. Neha Goyal, AAAG

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

12/08/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना चित्रकूट, जिला जयपुर (पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 140/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 316(2), 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, वह दिनांक 01.06.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त ने परिवादी को ना तो 5,40,000/– रूपये निवेश करने के लिए उत्प्रेरित किया और ना ही उसने रूपये प्राप्त किये और ना ही उक्त राशि उसके खाते में जमा हुई है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में जो 10 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताये गये हैं, वे समान प्रकृति के है। प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 11243/2026, आदेश दिनांक 07.08.2026 एवं जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 11464/2026, आदेश दिनांक 07.08.2026 इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में घटना की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में मुख्य अभियुक्त बाबूलाल है, जिसने परिवादी को 5,40,000/– रूपये निवेश करने के लिए कहा और रूपये प्राप्त किये। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादी को रूपये निवेश करने के लिए उत्प्रेरित किया गया हो यह तथ्य इस स्तर पर नहीं आया है। यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं, तथापि Prabhakar Tewari Vs. The State of Uttar Pradesh; AIRONLINE 2020 SC 96 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धांत के अनुसार केवल मात्र पूर्व में आपराधिक प्रकरण लंबित होने के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने पर इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में 10 प्रकरण दर्ज होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को सशर्त जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **मौसम सुधाकर उर्फ सुधाकर रेड्डी पुत्र श्री मौसम कोमरया** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे निम्न शर्तों के अधीन हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावेः–

1. जमानत पर आजाद होने के 7 दिवस के अंतर्गत प्रार्थी/अभियुक्त अपना वर्तमान पता एवं मोबाइल नंबर, जो वह उपयोग में ले रहा है, उसका विवरण संबंधित थानाधिकारी को उपलब्ध कराएगा व संबंधित थानाधिकारी उक्त पते व मोबाइल नंबर को सत्यापित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त अपने वर्तमान पते व मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन करता है, तो उसकी सूचना भी तुरंत प्रभाव से संबंधित थानाधिकारी एवं संबंधित न्यायालय को देगा।

2. प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन (अवकाश होने पर अगले दिन) संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा।

3. यदि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त शर्त का उल्लंघन करता है या ऐसे किसी अपराध की पुनरावृत्ति करता है या उसमें लिप्त पाया जाता है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को अनुपालना हेतु भेजी जावे तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP (Criminal) No.

04/2021 In Re Policy Strategy for Grant of Bail & SLP (Cri.) No. 529/2021 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2023 की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त को सूचित करने हेतु इस आदेश की प्रति संबंधित कारागृह को जरिये ईमेल प्रेषित की जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

24/AKSHAY KUMAR PAREEK/P.A.